

:: महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर ::

क्रमांक : वन्दी भाखा/अथपुर/४६/०७/६००४९-१९० दिनांक :- १०/३/१०


1. समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक,  
प्रभाराधिकारी,  
केन्द्रीय/जिला/उप कारागार  
राजस्थान।
2. उपाधीक्षक,  
महिला सुधारगृह, जयपुर।

विषय:- जेल में सूचना लगाये जाने बाबत।

जेल में निरुद्ध विचाराधीन बन्दियों की बैरिक और मैस के प्रमुख स्थान पर पेन्ट करके स्पष्ट लिखा जावे कि "विचाराधीन बन्दियों से किसी प्रकार की वसूली या मारपीट अथवा अमानवीय व्यवहार किया जाता है तो वह तत्काल प्रभाव से इसकी शिकायत जेल इन्चार्ज अथवा उसके अधीनस्थ अधिकारी, ड्युटी प्रहरी अथवा महा मुख्य प्रहरी को करेंगे।

विचाराधीन वन्दी से ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर जेल कर्मी द्वारा तुरन्त जेल अधीक्षक/उपाधीक्षक/जेलर या इन्चार्ज को मौखिक या लिखित में दी जाये। जिस पर तुरन्त जेल प्रभारी द्वारा आवश्यक तथ्य ज्ञात कर दोषी कर्मियों/बन्दियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए।



  
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक  
कारागार राजस्थान, जयपुर